न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 59/2018 (राजसमन्द डिकी)

1. कमलेश पिता सुन्दरलाल जी कुमावत, निवासी छापरिया भैरू जी के पास गर्ल्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के पास, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती तुलसीबाई पत्नी सुन्दरलाल जी कुमावत, निवासी छापरिया भैरू जी के पास गर्ल्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के पास, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी रामचन्द्र जी कुमावत, निवासी छापरिया भैरू जी क पास गर्ल्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के पास, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मगनलाल पिता बल्लू जी कुमावत, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती नारायणीबाई पत्नी मगनलाल जी कुमावत, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. शम्भूलाल पुत्र मगनलाल जी कुमावत, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. कैलाशी पुत्री मगनलाल जी कुमावत पत्नी गोपीलाल जी कुमावत, निवासी मुखर्जी चौराहा, कुमावत मोहल्ला, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 11.08.1987, प्र.सं. 103/86

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री गापाल आचार्य अभिभाशक अपीलान्टगण

2. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रे॰सं॰ 1/1 से 1/3

———:::———

निर्णय दिनांक

22—05—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण के पिता सुन्दरलाल व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी मगनलाल व प्रतिवादी संख्या 1 सुन्दरलाल सगे भाई होकर दोनों अलग—अलग रहते हैं। सन् 1974 में दोनों ने मिलकर ग्राम आसोटिया की आराजी नंबर 307, 308 व 1511/309 कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की, जिसमें वादी का 1/3 व प्रतिवादी का 2/3 भाग था, किन्तु विभाजन नहीं होने से असुविधा होता है। अतः उक्त भूमियों का विभाजन कराया जाकर वादी का 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 सरकार की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 29—09—1986 को पक्षकारान द्वारा इस आशय का समझौता पत्र प्रस्तुत कि आराजो नंबर 1511/309 रकबा 8 बीघा में से वादी का 1/3 हिस्सा तथा शेष 2/3 हिस्सा प्रतिवादी के रखी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने समझौता पत्र अनुसार अपने निर्णय दिनांक 11—08—1987 से आराजी नंबर 1511/309 रकबा 8 बीघा 2 में वादी को 2/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर डिकी जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 11–08–1987 से रूष्ट होकर प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के वारिसान द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जो इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11–09–2017 से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गयी कि पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर तथा सरकार द्वारा पेश किये गये जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम कर विधि के आलोक में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

इस न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के बाद दिनांक 09–03–2018 को रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा ने आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 जा.दी. व आदेश 41 नियम 20 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवदन किया गया कि आप द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–09–2017 में प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है।

उक्त आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 09–10–2018 को स्वीकार किया गया तथा मूल अपील संख्या 39/2014 को पुनः नंबर पर लिया गया, जिसके आधार पर प्रकरण पुनः इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि कथित जायदाद अपीलान्ट के पिता की व्यक्तिगत जायदाद थी, जिससे रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कोई संबंध नहीं था, न ही उनका कब्जा था। कानूनन घोषणा का वाद लाये बिना घोषणा का वाद मेन्टेलेबल ही नहीं है। अपीलान्ट के पिता द्वारा कोई समझौता पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कोई जवाबदावा पेश किया गया। दावा विभाजन का था, जबकि विभाजन की कोई डिक्री पारित नहीं की गयी। दावे में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपना 1/3 हिस्सा होना बताया है, जबकि उसे 2/3 हिस्सा दिया गया है। अगर दावे में शामिल में भूमि खरीदने का कथन किया गया है तो दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा

होना चाहिए, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट 1/1 से 1/3 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि प्रस्तुत समझौते अनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि दावे में वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा शामिल में भूमियां कय किया जाने बताते हुए अपना 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात हाल अपीलान्टगण के पिता सुन्दरलाल का 2/3 हिस्सा होना बताया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को 2/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है, जो दावे में चाही गयी दाद के विपरीत होकर बिना साक्ष्य सबूतों के आधार पर पारित निर्णय होने से त्रुटि पूण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–08–1987 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–09–2017 अनुसार प्रतिप्रेषित की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम करें तथा पक्षकारों को सुनकर प्रकरण का पुनः परीक्षण कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–07–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....
व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

स्व॰ उदयलाल के बजाय देवीलाल सुथार, निवासी पीपली डोडियान, त. रेलमगरा, जि. राजसमन्द व अन्य

बनाम

स्व॰ किशनलाल के बजाय माधवलाल सथार, निवासी पीपली डोडियान, त. रेलमगरा, जि. राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰.....22 / 2013.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....राजसमन्द..... मुकाम.....मुवर्खे.....13.....माह..... 05.....2013

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....21....माह.....05.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान
व हाजरी.....श्री अक्षय पालीवाल.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–05–2013 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....21.....माह.....05... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।